प्रेस नोट
दिनाँक 13.10.2025
जनपद-संतकबीरनगर

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में *थाना बखिरा पुलिस* द्वारा 01- वारण्टी नाम पता कल्पनाथ पुत्र महंगू निवासी अजगरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रमेश चन्द्र, का0 जितेश कुमार।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 18 अभियुक्त गिरफ्तार

•थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
•थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
•थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 7670 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 7670 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत दुर्गा मन्दिर मगहर से कालर द्वारा कार और बाइक में टक्कर होने से दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों (01.रुपचन्द्र पुत्र अनिल, 02. सुमित पुत्र नन्दलाल निवासीगण ग्राम तिनहरिया थाना गीडा जनपद गोरखपुर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायलों को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- आ० बसन्त चौहान, हो०चा0 पंकज पंकज पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 534 वाहनों से 5,78,800 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 13.10.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 534 वाहनों से 5,78,800 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।